न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2479/दो/2001 – विरुद्ध आदेश दिनांक 29.11.2001 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 16/2001–02 निगरानी

1– राघवेन्द्र सिंह
2– हरीओम दोनों पुत्रगण धनसिंह
निवासी ग्राम हरचंद का पुरा मौजा बरवाई
तहसील पोरसा जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरुद्ध

1– परमाल सिंह 2– राजबहादुर सिंह
3– रामसेवक सिंह पुत्रगण प्रहलादसिंह
निवासी ग्राम हरचंदपुरा मौजा बरवाई
तहसील पोरसा जिला मुरैना
4– सरमन सिंह 5– बाबूसिंह 6– माखनसिंह
7– धनसिंह 8– विश्वनाथ सिंह पुत्रगण गोपीसिंह
9– सुश्री बरानी पुत्री गोपी सिंह
10–श्रीमती कुसुमावाई पत्नि स्व. रूपसिंह
11–परमाल सिंह पुत्र गुरुदयालसिंह
12–श्रीमंती बीना पत्नि स्व. गुरुदयालसिंह
सभी निवासीगण गाम हरचंद का पुरा
मौजा बरवाई तहसील पोरसा जिला मुरैना ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी.के.तिवारी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री संजय जैन)

आ दे श
(आज दिनांक 15– 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.11.2001 के विरुद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बरवाई की भूमि के खाता क्रमांक 443/2056 रकबा 0.501 है. , खाता क्रमांक 466/2056 के रकबा 0.282 है. के हिस्सा 1/6, खाता क्रमांक 448/2056 रकबा 0.763 है. के संपूर्ण भाग, खाता क्रमांक 450/2056 के रकबा 1.808 है. के 1/3 भाग, खाता क्रमांक 390 रकबा 0.303 है. के 1/6 भाग, खाता क्रमांक 1218/2056 रकबा 3.083 है. के 1/6 भाग के फूलसिंह पुत्र काशीराम भूमिस्वामी थे जिनकी बेओलाद मृत्यु हुई। इस खाते की भूमि पर आवेदकगण ने बसीयत के आधार पर नामांत्रण किये जोन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय पोरसा में प्रकरण क्रमांक 22/99-200 अ-6 दर्ज होकर आदेश दिनांक 15.2.200 से नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 60/99-2000 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15.3.2000 से स्थगन आदेश जारी किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 57/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 16.8.2000 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 16/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2001से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में

देखना यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह व्दारा प्रकरण क्रमांक 60/99-2000 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15.3.2000 से स्थगन आदेश जारी करने में किसी प्रकार की बैधानिक त्रृटि की है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 (2) इस प्रकार है -

धारा 52 (2)-अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण किया गया है , निष्पादन उतने समय तक के लिये रोक दिया जाय जितना कि वह ठीक समझे ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वविवेक से धारा 52 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु समर्थ है और इन्हीं शक्तियों के अधीन अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने अंतरिम आदेश दिनांक 15-3-2000 पारित किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर मुरैना एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरेना ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जोन निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त,चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.11.2001 स्थिर रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर